तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-5-18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली आवश्यक वास्ते इजराय पालना इन्तजार हेतु दिनांक 13-6-18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	
13-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार- कैम्प स्थल- वासा में प्रस्तुत हुई। श्री नारायणलाल पुत्र बरदीशंकर दवे जाति- गोरवाल ब्राह्मण निवासी- वासा ने O-21 R-11 CPC के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी ज्योत्सना को प्रतिवादी श्री धर्मदत्त पुत्र बरदीशंकर जाति- गोरवाल ब्राह्मण निवासी- वासा कि जगह खातेदार माना है तथा सिविल वाद सं. 38/2013 के जरिये श्रीमान् सिविल न्यायाधीश, पिण्डवाड़ा न्याय क्षेत्र, सिरोही राजस्थान द्वारा धर्मदत्त पुत्र बरदीशंकर की सिविल मृत्यु घोषित की है। जिससे डिक्री की पालना करने हेतु वासा गांव में खसरा नम्बर- 132 के 142, 150 से 156 तथा 159 से 161 की कुल किता 21 रकबा 14-13 बीघा भूमि में से धर्मदत्त पुत्र बरदीशंकर का नाम जरिये सिविल मृत्यु के हटाकर वादी नारायणलाल पुत्र बरदीशंकर व ज्योत्सना पत्नि शांतिलाल के नाम धर्मदत्त का हिस्सा दर्ज करवाने का आदेश दिलवाने तथा तहसीलदार, पिण्डवाड़ा अपने हल्का पटवारी के जरिये उपरोक्त म्यूटेशन भरावे। प्रतिवादी संख्या (1) श्रीमति ज्योत्सना पत्नि शांतिलाल ने भी उपस्थित होकर निवेदन किया की धर्मदत्त पुत्र बरदीशंकर का हिस्सा हम दोनों	(1) ज्योत्सना (2) शांतिलाल (1) (ज्यो. दावे) (2) (शान्तिलाल)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी सं. (2) तहसीलदार, पिण्डवाड़ा ने निवेदन किया कि श्रीमान् द्वारा मु. सं. 17/2011 नारायण बनाम ज्योत्सना में जारी डिक्री का अवलोकन कराते उक्त डिक्री में प्रतिवादी सं. (2) को खातेदार की सिविल मृत्यु करने का सर्वाधिकार सिविल न्यायालय को होने से सिविल न्यायालय को प्रेषित करने के निर्देश संबंधित आंशिक डिक्री जारी की है। लेकिन उक्त डिक्री में इस प्रार्थना पत्र के फरीकेन नारायणलाल पुत्र वरदीशंकर तथा श्रीमति ज्योत्सना पत्नि मोतीलाल दवे निवासी वासा के पक्ष में खातेदार की भूमि सिविल न्यायालय में सिविल मृत्यु के आदेश के पश्चात् अथवा पूर्व में उक्त खातेदार का हिस्सा इन दोनों के नाम दर्ज करने का कोई निर्णित डिक्री दिनांक 24 मई 2013 में नहीं है। अतः कोई नामान्तरकरण की कार्यवाही डिक्री दिनांक 24 मई 2013 के तहत नहीं की जानी है। अतः O-21 R-11 के तहत प्रार्थना-पत्र निरस्त करावें। मैंने उभय पक्षकारान के तर्क तथा प्रत्युत्तर सुने व अवलोकन किया। तहसीलदार का यह कथन सही है कि सहायक कलक्टर, पिण्डवाड़ा के मु. सं. 17/2011 दावा बाबत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में आंशिक डिक्री केवल इस आशय की ही जारी की गई है कि सिविल मृत्यु सर्वाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है अतः दावा आंशिक स्वीकार किया जाकर सिविल मृत्यु घोषित कराने हेतु पत्रावली सिविल	

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाड़ा (सि

श्री..... बनाम श्री.....

किस्म मुकदमा..... नम्बर..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म क में जारी
	प्रस्तुत कर्ता श्री नारायणलाल व श्रीमति ज्योत्सना के नाम धर्मदत्त की भूमि दर्ज कर दी जावे। अतः प्रार्थना-पत्र O-21 R-11 CPC के आधार पतित होता है कि मूल दावा पत्रावली सं. 17/2011 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर शेष कार्यवाही की जानी है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं पाया जाने से निरस्त किया जाता है अतः निर्णय तीनों पक्षकारान् की उपस्थिति में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

सहायक कलेक्टर पिण्डवाड़ा